

**कार्यालय :-** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

**कार्यालय आदेश संख्या :- ३।**

**राँची-२ दिनांक :- १९/५/१५**

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०-४/यो० बजट-४२/२०१०-२३७१ व००४०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक १५.०५.१५ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

### अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना का दर

**पौधों की संख्या प्रति हेठो :** 1000 पौधे

**मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० मे) :** 187.43

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाइ	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे)	सामग्री (रु० मे)	कुल व्यय (रु० मे)	अभियुक्ति
क्र.	आग्रह कार्य (पथम वर्ष)	3	4	5	6	7	8
<b>क्र. 1 आग्रह कार्य (पथम वर्ष)</b>							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3	562.29	0.00	562.29	
2	झाड़ी सफाई		0	0.00	0.00		
2.1	झाड़ी रहित	हेठो	0	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हेठो	7	1312.01	0.00	1312.01	
2.3	घनी झाड़ी	हेठो	10	1874.30	0.00	1874.30	
2.4	कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हेठो	10	1874.30	0.00	1874.30	
3	घेरान कार्य						

3.1	ट्रैच घेरान – ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25	4685.75		4685.75	यदि पूर्व में दृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजि त होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्राकृतिक करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
3.2	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम से 0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबंधक लाभ घटाकर दर )	चेन	2	374.86	1963.79	2338.65	स्थल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रैच की खुदाई वन संरक्षक से अनुपात प्राप्त कर की जा सकती। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
3.3	पथर घेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1. 25 मी० ऊँचाई 1.00 मी०	चेन	25	4685.75	0.00	4685.75	
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6	1124.58	25.00	1149.58	
4	मूदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 1000 पीट प्रति है० (सरेखन एवं मूदा प्रोफाइल पिट सहित)	हेठो	22	4123.46	0.00	4123.46	
5	मूदा एवं जल संरक्षण—गली प्लगिंग /सिल्ट रिटेंशन डेम/ कंट्रूर आदि (आवश्यकता	हेठो	45	8434.35	0.00	8434.35	

6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	10	1874.30		1874.30	
7	सामग्री (पॉलिथीन थेली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुचाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0	0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0	0.00	150.00	150.00	
<b>(ख) समाप्त कार्य (हितीय वर्ष)</b>							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	13	2436.59	0.00	2436.59	
2	वृक्षारोपण	हे०	22	4123.46		4123.46	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	25	4685.75	0.00	4685.75	
4	ट्रैच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2	374.86	0.00	374.86	प्रति हे० औसत 5 चेन ट्रैच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे० तक	स्थल	275	51543.25		51543.25	
5.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	550	103086.50		103086.50	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0	0.00	150.00	150.00	
<b>(ग) समाप्त कार्य (तुलीय वर्ष)</b>							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14	2624.02	0.00	2624.02	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	785.00	785.00	
3 (क)	30 हे० तक	स्थल	365	68411.95		68411.95	
3 (ख)	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730	136823.90		136823.90	
4	घेरान मरम्मति	चेन	1	187.43	0.00	187.43	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2	374.86	176.00	550.86	
<b>(घ) समाप्त कार्य (वर्तीय वर्ष)</b>							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14	2624.02	0.00	2624.02	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हे० तक	स्थल	365	68411.95		68411.95	
3.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730	136823.90		136823.90	

4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2	374.86	176.00	550.86	
च	साम्पोषण कार्य (पर्वत वर्ष )						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14	2624.02	0.00	2624.02	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365	68411.95		68411.95	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1	187.43		187.43	
छ	साम्पोषण कार्य (उत्ता वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365	68411.95		68411.95	
ज	साम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष )						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365	68411.95		68411.95	

नोट :-

- (1) सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय ऐक्स एण्ड लैम्प्स (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

हे०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :- 468

दिनांक :- 13/5/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

नामांकन गाँड़ी

19/5/2015